तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

25.10.2021

पत्रावली वास्ते आदेश प्राथमिक एतराज पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित।

वकील रैस्पो0 का तर्क रहा है कि अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील न्यायालय हाजा में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 21.08.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त आदेश दिनांक 21.08.2012 एक पक्षीय स्थगन आदेश है जो आगामी पेशी दिनांक 31.08.2012 तक के लिये जारी किया गया है। लिहाजा उक्त आदेश एक अंतरिम आदेश की संज्ञा में आता है एवं नियमानुसार अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील संधारणीय नहीं है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 23.10.2012 से ही रही है फिर भी अपीलाण्ट द्वारा अपील लगभग 03 साल 09 माह बाद मियाद बाहर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गयी है एवं उक्त असाधारण विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण भी अपीलाण्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया है। जबकि मियाद बाहर अपील प्रस्तुत करने पर, प्रत्येक दिन की देरी का कारण स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त दोनों तथ्यों के आधार पर अपील अपीलाण्ट इसी स्तर पर खारिज योग्य है। अन्त में अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे 2011 पेज 289, 325, आरआरटी 2020(1) पेज 336, 2014–15(सप्ली0) पेज 59, 2015(1) पेज 96 का उद्धरण पेश करते हुये, प्रार्थना पत्र प्राथमिक एतराज स्वीकार करते हुये, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

अपीलाण्ट के अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाण्ट को मूल दावे में पक्षकार नहीं बनाया गया। अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर, अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार मुकदमा बनने हेतु प्रार्थना पत्र 01 रूल 10 पेश किया गया तत्पश्चात् पक्षकार मुकदमा बनने के बाद, अपीलाण्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गयी, जो जानकारी की दिनांक से अंदर मियाद है। जहाँ तक अन्तरिम आदेश का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3 ए के प्रावधानो की पालना नहीं की गयी है। उक्त प्रावधान के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लम्बित अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण 30 दिन की अवधि में किया जाना आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा ना करते हुये प्रकरण में तारीख पेशीयाँ दी जा रही हैं। लिहाजा अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की अपील करने के सिवाय कोई उपाय शेष नहीं रहता है। अतः रैस्पो0 के प्राथमिक एतराज सारपूर्ण नहीं होने के कारण काबिले खारिजी हैं। अन्त में प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक रैस्पो0 की प्राथमिक आपत्ति हैं कि अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध है एवं मियाद बाहर पेश की गयी है। हमने गौर किया। यह सही है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.08.2012 एक अंतरिम आदेश है। परन्तु न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2014 पेज 409 माननीय राजस्व मण्डल बृहदपीठ के निर्णय पैरा संख्या 50 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

an ex-parte order granting temporary injuction under Section 212 of the Act, in normal circumstances, is not appealable under Section 225 of the said Act, but if the Court granting such an ex-parte temporary injuction fails to perform its mandatory duty as provided in Rule 3 and 3A of Order 39 othe Code, then the aggrieved party who is deprived of justice due to inaction of the Court shall be entitled to right of appeal against an ex-parte or ad-interim ex-parte order granting temporary injunction.

इसी प्रकार न्यायिक नजीर डी0एन0जे0 2014(1) पेज 35 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टान्त में माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण Venkatasubbiah Naidu Vs. S. Ahallappan & Ors 2000(3) के फैसले को संदर्भित करते हुये यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि:–

अखिलेश कुमार पिपल

Under the normal circumstances the aggrieved party can prefer an appeal only against an order passed under Rule 1,2, 2-A, 4 or 10 of Order 39 of the code in terms of Order 43 Rule 1 of the code. He cannot approach the appellate or revisional Court during the pendecy of the application for grant or vacation of temporary injuction. In such circumstances the party who does not get justice due to the inaction of the Court in following the mandate of law must have a remedy. in a case where the mandate of Order 39 Rule 3-A of the Code is flouted, the aggrieved party, shall be entitled to the right of appeal notwithstanding the pendeny of the application for grant or vacation of a temporary injuction, against the order remaining in force.

Failure to decide the application or vacate the ex party temporary injuction shall, for the purposes of the appeal, be deemed to be the final order passed in the application for temporary injuction. on the date of expiry of thirty days mentioned in the Rule.

न्यायिक व्यवस्था का सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रत्येक न्यायालय को अपने से उच्चतर न्यायालय के निर्णय का सम्मान तथा पालन करना चाहिये। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.08.2012 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी है एवं अपीलाण्ट को दिनांक 26.09.2013 से प्रकरण में पक्षकार मुकदमा बनाया जाकर प्रकरण में सन् 2014 तक अग्रिम पेशी निर्धारित की जाती रही हैं। लिहाजा अपीलाधीन आदेश का आदिनांक तक अन्तिम तौर पर निस्तारित नहीं किया गया है। जिसे न्याय की दृष्टि से विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। उपरोक्त तथ्यो एवं न्यायिक दृष्तान्त की पृष्ठभूमि में, हम अपील अपीलाण्ट संधारणीय योग्य पाते हैं। अतः अपील सुनवाई हेतु ग्रहण की गयी।

रैस्पो0 की अन्य आपत्ति की, अपील मियाद बाहर पेश की गयी है कि ओर भी हमने गौर किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को दिनांक 26.09.2013 को प्रकरण में पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। जिसकी निगरानी सुगेर सिंह द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में की गयी जो दिनांक 16.07.2015 को स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 26.09.2013 को निरस्त किया गया। जिसकी रिट पिटीशन माननीय उच्च न्यायालय में दौलत सिंह (अपीलाण्ट) द्वारा की गयी जो निर्णय दिनांक 06.07.2017 से स्वीकार होकर माननीय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 16.07.2015 को निरस्त किया गया। इस प्रकार प्रकरण का विभिन्न विभिन्न न्यायालय में विचाराधीन रहने के कारण अपील में देरी होना स्वाभाविक है। उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में हम प्रार्थी/रैस्पो0 की दोनों प्राथमिक आपत्तियॉ खारिज योग्य पाते हैं एवं अपील अपीलाण्ट इसी स्तर पर आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, अपने समक्ष लम्बित प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3 ए के प्रावधानो के अनुसार, पक्षकारान के न्यायालय में उपस्थित होने की तिथी से 30 दिवस में आवश्यक रूप से करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.11.2021 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें।

पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25.10.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर